

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री शिव सिंह चदाना नि0 गांव सोनियाणा, पो. जनावद, तहसील चारभुजा जिला राजसमन्द - अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 80/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><b>दिनांक 08.01.2024</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/ R.T.I.2005/2023/17 दिनांक 20.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री शिवसिंह चदाना नि0 सोनियाणा, जनावद तहसील गढ़बोर द्वारा ग्राम सोनियाणा की भूमि व पट्टे के विवरण संबंधित चाही गयी सूचना हल्का पटवारी जनावद से प्राप्त कर प्रार्थी शिवसिंह को जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक राजस्व/ R.T.I.2005/2023/16 दिनांक 20.12.2023 से भिजवा दी गयी हैं।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता हैं।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



*Bella*  
लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद